2021 का विधेयक संख्यांक 115

[दि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस (नेशनलाइजेशन) अमेंडमेंट बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 2021 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

1972 का 57

धारा 3 का संशोधन ।

2. साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में,—

(i) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(खक) किसी विनिर्दिष्ट बीमाकर्ता के संबंध में “निदेशक बोर्ड” या “बोर्ड” का वही अर्थ होगा, जो उनका कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (10) में है ;’; 2013 का 18

(ii) खंड (ग) में “कंपनी अधिनियम, 1956” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “कंपनी अधिनियम, 2013” शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 1956 का 1 2013 का 18

(iii) खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(छ) “साधारण बीमा कारबार” का वही अर्थ होगा, जो उसका बीमा अधिनियम, 1938 में है ;’; 1938 का 4

(iv) खंड (ज) में, “धारा 617” शब्द और अंकों के स्थान पर, “धारा 2 का खंड (45)” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(v) खंड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(णक) “विनिर्दिष्ट बीमाकर्ता” से खंड (घ) में यथापरिभाषित निगम या धारा 10क में विनिर्दिष्ट कोई भी बीमा कंपनी अभिप्रेत है ;’।

धारा 9 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 9 में, “कंपनी अधिनियम, 1956” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “कंपनी अधिनियम, 2013” शब्द और अंक रखे जाएंगे । 1956 का 1 2013 का 18

धारा 10ख का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 10ख के परंतुक का लोप किया जाएगा ।

नई धारा 24ख का अंत:स्थापन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 24क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अधिनियम के लागू होने का समाप्त होना ।

‘**24ख.** (1) उस तारीख से ही जिसको केंद्रीय सरकार साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रारंभ होने के पश्चात् किसी विनिर्दिष्ट बीमाकर्ता को नियंत्रित करना समाप्त कर देती है, इस अधिनियम के उपबंधों का उस विनिर्दिष्ट बीमाकर्ता के संबंध में लागू होना समाप्त हो जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट लागू होना, समाप्त होने की तारीख को,—

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट बीमाकर्ता के संबंध में धारा 17क की उपधारा (1) के अधीन विरचित किसी स्कीम को ऐसे विनिर्दिष्ट बीमाकर्ता के निदेशक बोर्ड द्वारा अंगीकृत किया गया समझा जाएगा :

परंतु निदेशक बोर्ड उसमें ऐसे वर्धन, संशोधन या फेरफार कर सकेगा या ऐसी स्कीम के स्थान पर नयी नीति विरचित कर सकेगा, जैसा वह समुचित समझे ;

(ख) खंड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट बीमाकर्ता के निदेशक बोर्ड की शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रयोगतव्य धारा 17क की उपधारा (1) के अधीन विरचित स्कीम उस निदेशक बोर्ड द्वारा प्रयोगतव्य होंगी ।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “नियंत्रण” पद से किसी विनिर्दिष्ट बीमाकर्ता के संबंध में केंद्रीय सरकार का,—

(i) उसके निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने ; या

(ii) उसके प्रबंधन या नीतिगत विनिश्चयों पर शक्ति,

का उसके शेयरधृति अधिकारों या संगम अनुच्छेद के अधीन उसके प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारक करारों या मतदान करारों या किन्हीं अन्य करार, जो किसी विनिर्दिष्ट बीमाकर्ता के साथ या विनिर्दिष्ट बीमाकर्ता के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति के साथ किए गए है, के कारण अधिकार अभिप्रेत है ।’

स्पष्टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि—

(i) इस धारा के उपबंध लागू होना समाप्त होने से पूर्व इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम, स्कीम, निदेश या अधिसूचना को लागू होंगे ;

(ii) लागू होना समाप्त होने से कोई बात, जो इस अधिनियम के अधीन पहले से ही लागू या विद्‌यमान नहीं है, प्रवर्तित नहीं होगी या उसका इस अधिनियम के अधीन पूर्व में की गई या हुई किसी बात पर कोई प्रभाव नहीं होगा ;

(iii) विनिर्दिष्ट बीमाकर्ता का निदेशक बोर्ड तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपेक्षा के अधीन रहते हुए, उपधारा (2) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेगा ।’।

नई धारा 31क का अंतःस्थापन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 31 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

विनिर्दिष्ट बीमाकर्ता के निदेशक का दायित्व ।

‘31क. किसी विनिर्दिष्ट बीमाकर्ता का निदेशक, जो पूर्णकालिक निदेशक नहीं है, विनिर्दिष्ट बीमाकर्ता के केवल ऐसे कृत्यों को करने या उनकी लोप करने के लिए दायी ठहराया जाएगा, जिन्हें बोर्ड की प्रक्रिया के माध्यम से उसकी जानकारी के साथ और उसकी सहमति या मौनानुकूलता के साथ किया गया था या जहां उसने सावधानीपूर्वक कार्य नहीं किया था ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “बोर्ड” के प्रति निदेश के अंतर्गत बोर्ड की समितियां हैं ।’।

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (अधिनियम) को भारतीय बीमा कंपनियों और अन्य विद्‌यमान बीमाकर्ताओं के उपक्रमों के शेयरों के अर्जन और अंतरण का उपबंध करने की दृष्टि से, ताकि समुदाय के सर्वोत्तम हित में साधारण बीमा कारबार के विकास को हासिल करने के द्‌वारा अर्थव्यवस्था की आवश्यकता की बेहतर ढंग से पूर्ति की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक प्रणाली का प्रचालन का परिणाम सामान्य अहित में धन के संकेन्द्रण के रूप में न हो और ऐसे कारबार तथा उससे संबद्‌ध या आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. पश्चातवर्ती रूप से अधिनियम को अर्जनकारी कंपनियों के शेयरों के अंतरण और उन्हें केन्द्रीय सरकार में वापस विहित करने का उपबंध करने और केन्द्रीय सरकार की शेयरधृति को भारतीय साधारण बीमा निगम में विहित करने के लिए और धारा 10क (विनिर्दिष्ट बीमाकर्ता) में निर्दिष्ट बीमाकर्ता 51 प्रतिशत से कम नहीं होंगे, के लिए 2002 में संशोधित किया था ।

3. पब्लिक सेक्टर की बीमा कंपनियों में अधिक प्राईवेट भागीदारी का उपबंध करने के लिए और बीमा की पहुंच में वृद्‌धि करने के लिए और सामाजिक संरक्षण के लिए तथा पालिसीधारकों के हितों को बेहतर रूप से सुरक्षित करने के लिए और अर्थव्यवस्था की तीव्र वृद्‌धि में अंशदान करने के लिए अधिनियम के कतिपय उपबंधों का संशोधन करना आवश्यक हो गया है । अर्थात् साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 रूप में एक विधेयक है ।

4. साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 अन्य बातों के साथ निम्नलिखित का उपबंध करता है, अर्थात् :-

(i) अधिनियम की धारा 10ख के परंतुक का लोप करना जिससे इस अपेक्षा को हटाया जा सके कि केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट बीमाकर्ता की साम्य पूंजी में 51 प्रतिशत से कम धारण नहीं करेगी ;

(ii) अधिनियम का ऐसे विनिर्दिष्ट बीमाकर्ता को लागू होने को उस तारीख से ही जिसको केन्द्रीय सरकार का उस पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, समाप्त करने का उपबंध करने के लिए नई धारा 24ख को अंतःस्थापित करना ; और

(iii) विनिर्दिष्ट बीमाकर्ता के निदेशक की, जो पूर्णकालिक निदेशक नहीं है, की विनिर्दिष्ट बीमाकर्ता के ऐसे कृत्यों को करने या किए जाने का लोप करने के संबंध में जो उसकी जानकारी और सहमति से किए गए है, दायित्व का उपबंध करने के लिए नई धारा 31क को अंतःस्थापित करने का उपबंध करता है ।

5. विधेयक पूर्वोक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ; **निर्मला सीतारामन**
28 जुलाई, 2021.

उपाबंध

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम संख्यांक 57) से उद्धरण

*   *   *   *   *

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं ।

*   *   *   *   *

(ग) "कम्पनी अधिनियम" से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) अभिप्रेत है;

*   *   *   *   *

(छ) "साधारण बीमा कारबार" से अग्नि, समुद्री या प्रकीर्ण बीमा कारबार अभिप्रेत है चाहे वह अकेले चलाया जाता हो अथवा उनमें से एक या अधिक के साथ-साथ चलाया जाता हो, किन्तु इसके अन्तर्गत पूंजी मोचन कारबार और निश्चित-वार्षिकी कारबार नहीं है;

(ज) "सरकारी कम्पनी" से कम्पनी अधिनियम की धारा 617 में यथापरिभाषित सरकारी कम्पनी अभिप्रेत है;

*   *   *   *   *

अध्याय 3

भारतीय साधारण बीमा निगम

भारतीय साधारण बीमा निगम का बनाया जाना ।

9. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र केन्द्रीय सरकार साधारण बीमा कारबार के अधीक्षण, नियंत्रण तथा चलाए जाने के प्रयोजन के लिए कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार एक सरकारी कम्पनी बनाएगी जो भारतीय साधारण बीमा निगम कहलाएगी :

परंतु साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 2002 के प्रारंभ से ही इस उपधारा के उपबंधों का प्रभाव इस प्रकार होगा मानो "साधारण बीमा कारबार के अधीक्षण, नियंत्रण तथा चलाए जाने" शब्दों के स्थान पर "पुनर्बीमा कारबार चलाए जाने" शब्द रखे गए हों ।

*   *   *   *   *

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 में किसी बात के होते हुए भी, निगम के नाम के अन्तिम शब्द के रूप में "लिमिटेड" शब्द जोड़ना आवश्यक नहीं होगा ।

*   *   *   *   *

साधारण बीमा कंपनियों की साधारण पूंजी की वृद्धि ।

10ख. साधारण बीमा निगम की धारा 10क मं निर्दिष्ट बीमा कंपनियों, शोदन क्षमता मार्जिन और ऐसे अन्य प्रोयजनों को पूरा करने लिए, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त सशक्त करे, ग्रामीण और सामाजिक सेक्टरों में अपने कारबार को बढ़ाने के लिए अपनी पूंजी जुटा सकेंगी :

परन्तु केन्द्रीय सरकार की शेयरधारिता किसी भी समय इक्यावन प्रतिशत से कम नहीं होगी ।

*   *   *   *   *